कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश,

सतपुड़ा भवन, भोपाल

कमांक /एफ–14/07/10–10/ 3757 भोपाल,दिनांक 20/11/07

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षैत्रीय)

मध्य प्रदेश

विषय :– अंतर्राज्यीय बेरियर निर्माण एवं व्यवस्था वर्ष 2007–08 ।

––"––

राज्य में वन सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिये प्रथम चरण में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बैरियरों को सुदृढ़ किया जाना है। इसके लिये निम्नानुसार व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

1. मुख्य सुव्यवस्थित बेरियर भवन – भवन में 4–5 स्टाफ को बैठने की व्यवस्था हो, कम्प्युटर का उपयोग करने तथा अभिलेखों के संधारण के लिए पर्याप्त फर्नीचर बिजली आदि की व्यवस्था होना चाहिए ।
2. मार्ग अवरोधक – स्टील पाईप का बना हुआ मजबूत रिफ्लेक्टर पेन्ट से पुता हुआ अवरोधक होना चाहिए । अवरोधक के दोनो ओर 100 मीटर तथा 500 मीटर की दूरी पर बैरियर के दोनो तरफ काले बोर्ड लगाये जाना चाहिये ।
3. विश्राम भवन :– बैरियर भवन के पीछे ही वन कर्मचारियों को विश्राम करने हेतु 4 बिस्तर लायक भवन होना चाहिए , इस भवन के साथ साफ सुथरा टायलेट तथा एक छोटा रसोई कक्ष भी होना चाहिये ।
4. फेंसिंग एवं पेयजल व्यवस्था :– बैरियर स्थल फेंसिंग से सुरक्षित होना चाहिए तथा सभी के लिए पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए ।
5. कर्मचारी व्यवस्था :– बैरियर पर 8–8 घन्टे की ड्यूटी के लिये कम से कम 3 कर्मचारी तथा 3 श्रमिकों की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे बैरियर प्रभावी ढंग से कार्य करें ।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था के लिये भवन का प्लान एवं स्टीमेट वन संरक्षक भोपाल द्वारा तैयार कराया जा रहा है। यदि आपके पास भी कोई उपयुक्त प्ला हो तो उस पर भी इस कार्यालय में विचार किया जा सकता है। स्थल पर पूर्व निर्मित भवन तथा अन्य सामग्री का भी यथायोग्य उपयोग किया जाना चाहिये भवन निर्माण के लिये किसी योग्य आर्किटेक्चर से भी तकनीकी परामर्श ले उचित होगा । सभी भवन मुख्य मार्गो पर होंगे । अतः वन विभाग की छवि प्रभावी प्रदर्शन के लिये उच्च स्तरीय निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित की जाना चाहि उपरोक्त व्यय मांग संख्या 41–2406(7882) कार्य आयोजना का कियान्वयन मजदूरी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में विकलनीय होगा।

संलग्नः– बजट आंवटन पत्रक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्ष

म0प्र0 भोपाल